न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार-I आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. 35 / 2022 दर्ज दिनांक : 10.03.2022

1. श्रीमती पेमा पत्नी धन्नाराम जाति जाट निवासी लालासर बणीरोतान तह0 चूरू
2. शिशपाल पुत्र धन्नाराम जात जाट निवासी लालासर बणीरोतान तह0 व जिला चूरू
3. सुगनी पुत्री धन्नाराम जाति जाट निवासी लालासर बणीरोतान तहसील व जिला चूरू
4. इन्द्रा पुत्री धन्नाराम जाति जाट निवासी लालासर बणीरोतान तहसील व जिला चूरू
5. तारा पुत्री धन्नाराम जाति जाट निवासी लालासर बणीरोतान तहसील व जिला चूरू
6. सरोज पुत्री धन्नाराम जाति जाट निवासी लालासर बणीरोतान तहसील व जिला चूरू

—वादी—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, चूरू
2. भारत गणराज्य जरिये जिला कलक्टर, चूरू

—प्रतिवादीगण—

उपस्थित अधिवक्ता
वादी श्री महेन्द्र न्यौल अधिवक्ता वादी
पैरोकार राज अधिवक्ता प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188ए
राजस्थान काश्त. अधिनियम, 1955

: निर्णय :

वदी द्वारा प्रस्तुत दावा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 20 रकबा 18 बीघा 10 बिश्वा रोही लालासर बणीरोतन वादीगण के पूर्वज स्व धन्नाराम के कब्जा काश्त में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में आने से पहले से ही चली आ रही थी, यह भूमि पूर्व में मंगला वल्द मंगतु जाति ढाढी मुसलमान के नाम से थी और वादीगण के धन्नाराम वल्द कुम्भाराम उर्फ दुलाराम इस भूमि को बतौर उप-कृषक काश्त करते थे। जब भारत देश का विभाजन हुआ तब उक्त मंगला पुत्र मंगतु पाकिस्तान चला गया और यह वादगत कृषि भूमि तत्कालीन कस्टोडियन विभाग में बतौर खातेदार राष्ट्रपति भारतसरकार में दर्ज होकर वादीगण के पूर्वज धन्नाराम का नाम बतौर काश्तकार अंकित कर दिया गया। स्व0 धन्नाराम के स्वर्गवास के पश्चात् यह भूमि बतौर काश्तकार जरिये इन्तकाल सं. 216 दिनांक 23.01.2007 के द्वारा विरासत के रूप में बतौर काश्तकार वादीगण के नाम दर्ज एवं अंकित हो चुकी है। राज्य सरकार के नियमों के अनुसार जो कृषि भूमि कस्टोडियन सम्पति में रिकॉर्ड में दर्ज की गई और जिसके काश्तकार राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार अन्य लोग दर्ज एवं अंकित चले आ रहे थे उनसे मुमासिफ राशि जमा ली जाकर उस भूमि के खातेदारी के अधिकार उन व्यक्तियों को देने चाहिये थे इसकी पालना में वादीगण के पूर्वज धन्ना वल्द कुम्भाराम उर्फ दुलाराम ने जरिये चालान नं. 809 दिनांक 13.01.1977 को 650.40 रू0 की राशि प्रतिवादी सं. 01 के आदेशानुसार निष्क्रान्त सम्पति की वसूली मानकर जरिये चालान बैंक में जमा करवा दी गई थी। उसके बाद प्रतिवादी सं. 01 का यह दायित्व था कि इस वादगत भूमि की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के पूर्वज धन्नाराम के नाम से दर्ज ... परन्तु प्रतिवादी सं. 01 एवं उनके मातहत कर्मचारियों द्वारा मुनासिफ राशि जमा करवाने के बावजूद राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:16:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

अधिकार वादीगण के पूर्वज धन्नाराम को लगती एवं लापरवाही के कारण दर्ज नहीं किये गये इसलिए यह रिकॉर्ड काबिल दुरूस्ती के है और राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकन चला आ रहा है जिसको दुरूस्त के है और राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकन चला आ रहा है जिसको दुरूस्त किया जावे व घोषित किया जावे कि रोही ग्राम लालासर की वादगत कृषि भूमि साबिका ख.नं. 20 हाल ख.न. 9 तादादी 18–10 बीघा रोही गांव लालासर बणीरोतान तहसील चूरू वादीगण को बहिस्सा बराबर खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि है इसलिए प्रतिवादी सं. 02 का नाम इस भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से दुरूस्ती किया जाकर वादीगण का नाम बतौर खातेदार काश्तकार का नाम बहिस्सा बराबर दर्ज एवं अंकित किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादगीण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी स. 01 की ओर से जवाबदावा पेश कर निवदेन किया कि वादगत भूमि मूल खातेदार पाकिस्तान चले जाने से कस्टोडियन भारत सरकार के नाम से नियमानुसार सही दर्ज की गई है जिसे वादीगण को पुराने कब्जे व राज्यसरकार द्वारा निर्धारित राशि जमा कराये जाने पर ही प्रचलित नियमों के अनतर्गत खातेदारी अधिकार दिये जाने संबंधी निर्णय पारित किया जा सकता है।

बहस में अधिवक्ता वादी की ओर से दावा में अंकित तथ्यों का दोहराया गया।जिस पर पैरोकार राज की ओर से निवेदन किया कि इस तरह के मामलों खातेदारी दिये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा नियम बने हुए हैं उनके तहत खातेदारी दिये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा नियम बहु हेए है उनके तहत खातेदारी दिये जाने हेतु पहले आवेदन करना चाहिए था। इस तरह से सीधी दावे के जरिये खातेदारी नहीं दी जा सकती है।इस तरह से सीधे ही दावे के जरिये खातेदारी नहीं दी जा सकती है अतः दावा वादी खारिज किया जावे।

वादीगण ने अपने दावे के समर्थन में वादगत कृषि भूमि की विभिन्न नकल जमाबंदी, एवं नकल गिरदावरियों के अनुसार वादगत कृषि भूमि पर वादीगण का लम्बे समय से कब्जा काश्त है। वादी की ओर से प्रस्तुत परिपत्र क्रमांक प.1(15)राज–पुनर्वास/2009 दिनांक 30.03.2012 के अनुसार ऐसे मामलों में संबंधित उपखण्ड अधिकारी को खातेदारी हेतु आवेदन करने पर उपखण्ड अधिकारी को खातेदारी हेतु आवेदन करने पर उपखण्ड अधिकारी को राजस्व रिकॉर्ड की भली भांति जांच कर राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के निमय 18 में विहित प्रक्रिया अनुसार खातेदारी देने के की कार्यवाही करने निर्देश दिये गये है। वादीगण द्वारा इस तरह की कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया जाता है तथा न ही तहसीलदार के समक्ष चालान दिनांक 13.01.1977 से राशि जमा कराने के बाद आदिनांक कोई आवेदन प्रस्तुत करना पाया जाता है। वादीगण को वाद हेतु कब प्राप्त हुआ यह भी स्पष्ट नहीं है बल्कि सीधे ही दावा पेश कर दिया गया है। जो उचित प्रतीत नहीं होता है अतः वादीगण का दावा दिनांक 30.07.2015 को ड्रॉप किया गया। जिस पर वादीगण की ओर न्यायालय भूप्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। न्यायालय भू–प्रबंधन एवं राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर की ओर से आदेश प्रदान किया गया कि निष्क्रान्त कृषि भूमि के आवंटियों को खातेदारी अधिकार देने हेतु राजस्थान भूराजस्व नियम 1963 के अनुसार ऐसी सम्पतियों पर संवत 212 से काबिज, वैध आंवटियों से भिन्न व्यक्ति जो राजस्व रिकॉर्ड में सम्वत् 2012 से 2019 तक लगातार नाम से दर्ज थे तथा सम्वत् 2019 से 2029 के भू प्रबंध के दौरान गैर खातेदार अंकित कर दिये गये तािा आज तक राजस्व रिकॉर्ड में तदनुसार दर्ज है जिन्हे परिपत्र की र्तानुसार खातेदारी दी जा सकती है। अपीलांट/वादी परपित्र दिनांक 30.03.2012 की समस्त शर्तानुसार खातेदारी दी जा सकती है। अपीलांट/वा[illegible]2 की समस्त शर्तों की पालना करता हुआ आ रहा है। परिपत्र दिनांक 30.03.2012 के निब[illegible] 03 [illegible] अनुसार पक्षकार द्वारा राजकोष में नकदी चालान क्रमांक 809 दिनांक 13.01.1977 [illegible] चुकी है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में आने [illegible] के पूर्वज कृषक काश्तकार चले आ रहे है जो आदिनांक जमाबंदी संवत 2071 से 2074 तक अधिक[illegible] को यह निर्देश देती है कि राजस्थान सरकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:16:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

के परिपत्र दिनांक 30.03.2012 के अनुसरण में प्रकरण का भलीभांती परीक्षण कर राजस्थान–भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आंवटन) नियम 1970 के नियम 18 में विहित प्रक्रिया अनुसार खातेदारी प्रदान करें। अतः उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधकारी का निर्णय दिनांक 30.07.2015 की अपास्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि कि अपीलांट / वादी को नियमानुसार खातेदारी दिलवाये जाने के आदेश पारित करें। पत्रावली प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार चूरू नवीनतम राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका स्थिति की रिपोर्ट के साथ प्रकरण से संबंधित सम्पूर्ण वस्तुस्थिति की रिपोर्ट तहसीलदार चूरू से मंगवाई गई। रिपोर्ट तहसीलदार चूरू की रिपोर्ट के अनुसार पटवारी हल्का, लालासर बणीरोतान से दावा संख्या 211 / 2012 अनुवानी श्रीमती पेमा आदि बनाम राजस्थान सरकार आदि में कृषि भूमि खसरा नंबर 20 रोही लालासर बणीरोतान के नीवन राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका स्थिति की रिपोद्व के साथ सम्पूर्ण वस्तुस्थिति की मौका रिपेर्अ कें संबंध में निर्देशित किये जाने पर पटवारी हल्का द्वारा अवगत कराया गया कि खसरा नम्बर 20 रोही लालासर बणीरोतान वर्तमान में खसरा नंबर 09 बंदोबस्त विभग द्वारा कायम किया गया है। खसरा नंबर 09 वर्तमान में राष्ट्रपति सम्पति भारत सरकार के नाम से ाजस्व रिकॉर्ड वर्तमान जमाबंदी में दर्ज है जिसमें पेमा पत्नी धना इत्यादि काश्तकारों में संयुक्त रूप से काश्त कर रहे है। पुष्टि हेतु ग्राम लालासर बणीरोतान का मिसल बंदोबस्त पत्र के संलग्न है जिसमें खसरा नंबर 09 में विभागीय भूमि राष्ट्रपति संपति भारत सरकार खातेदार व धन्ना वल्द कुभा कौम जाट सा देह काश्तकार दर्ज है एवं वर्तमान जमाबंदी संलग्न है तथा पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत मूल ही श्रीमानजी को आगामी कार्यवाही हेतु प्रषित है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधिक्ता वादी की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई। प्रतिवादी को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद बहस नहीं किये जाने पर बहस प्रतिवादी बंद की गई व पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जमाबंदी सम्वत् 2067 से 2070 रोही ग्राम लालासर बणीरोतान खेत खसरा नम्बर 09 में खाता विभागीय भूमि राष्ट्रपति सम्पति भारत सरकार खातेदार मु0 पेमा पत्नी स्व धना शिशपाल, सुगनी, इन्द्रा तारा सरोज पुत्र पुत्रियां धना कौम जाट ब.हि.ब सा. देह काश्तकार दर्ज है। गिरदावारी रोही ग्राम लालासर बणीरोतान खेत खसरा नम्बर 09 विभागीय भूमि राष्ट्रपति सम्पति भारत सरकार खातेदार मु0 पेमा पत्नी स्व धना शिशपाल, सुगनी, इन्द्रा तारा सरोज पुत्र पुत्रियां धना कौम जाट ब.हि.ब सा. देह काश्तकार दर्ज है। नकदी चालान संख्या 809 / 31 दिनांक 13.01.1977 समाज सुरक्षा निष्क्रान्त सम्पति धन्ना पुत्र दुलाराम के 650 रू 40 पैसे जमा करवाये गये है। दस्तावेज परिपत्र राजस्थन सरकार का. प. 1(15)राज–पूनर्वास / 2009 दिनांक 30.03.2012 में निष्क्रसप्त कृषि भूमियों के आवंटियों को खातेदारी अधिकार देने हेतु राजस्थन भू–राजस्व (निष्क्रान्त कृषि भूमियों का थायी आवंटन) नियम, 1963 बने हुए हैं। परन्तु ऐसी सम्पतियों पर सम्वर्त 2012 से काबिज, वैध आवंटियों से भिन्न व्यक्ति जो राजस्व रिकॉर्ड में सम्वत् 2012 से 2019 तक पट्टेदार मौरूसी, गैर मौरूसी, रहन मुर्तहन के नाम से जर्द थे तथा सम्वत 2019 से 2029 के भू–प्रबंध के दौरान गैर खातेदार अंकित कर दिये गये तथा अज तक राजस्व रिकॉर्ड में तदनुसार दर्ज है, उन्हे निम्न प्रक्रिया अपनाकर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जावे:

1. गैर खातेदार काश्तकार को संबंधित उपखण्ड अधिकार को खातेदारी हेतु आवेद करना होगा तथा आववेदन करना होगा तथा आवेदन पत्र के साथ सम्वत् 2012 से आवेदन तिथि वर्ष तक की जमाबंदी एवं खसरा गिरद[illegible] प्रस्तुत करनी होगी।
2. संबंधित उपखण्ड अधिकारी राजस्व रिकॉ[illegible] भांति जांच कर नवीनतम रिकॉर्ड एवं मौका स्थित की रिपोर्ट तहसील[illegible] राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के नियम 18 में विहित प्रक्रिया अनुसार खातेदारी देने की कार्यवाही करेंगे।
3. बिन्दु संख्या 02 के अनुसार खातेदारी हेतु पात्र पाये जाने वाले गैर–खातेदार आवेदकों को समस्त देय राजकीय बकाया राशि मय ब्याज(यदि कोई हो) तथा 4000 / – प्रति बीघा (सिंचित) एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:16:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

2000/– प्रति बीघा (असिंचित) की दर से नियमितीकरण शुल्क जमा कराना होगा तथा 2000/– प्रति बीघा (सिंचित) एवं 1000/ प्रति बीघा (असिंचित) शास्ति के रूप में जमा कराने होंगे।अनुसूचित जाति/जनजाति/बीपीएल श्रेणी के गैर खातेदार आवेदकों से बिन्दु संख्या 03 में उल्लेखिता नियमितीकरण शुल्क व शास्ति का प्रतिशत ही वसूलनीय होगा।

4. ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने इस परिपत्र में उल्लेखित श्रेणी के गैर खातेदारों से बिना किसी बिना किसी विक्रय पत्र या इकरार नामा के भूमि क्रय कर ली हो तथा अन्य किसी पुख्ता साक्ष्य के आधार पर दावा रखते हों, उन्हें सक्षम न्यायालयसे स्वामित्व/कब्जे के बारे मे निर्णय करवाना होगा एवं निर्णय के पश्चात् बिन्दु संख्या–3 के अनुसार नियमितीकरण शुल्क व शास्ति जमा कराने पर खातेदारी अधिकर प्रदान किए जा सकेंगे।
5. नगरपालिका क्षेत्र मे स्थित निष्क्रान्त कृषि भूमि के गैर खातेदारों को बिन्दु सं. 02 के अनुसार पात्र पाये जाने पर राजस्थान भू–राजस्व(कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम, 1970 के नियम 18 के उपनियम(4) में राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 21.06.07 को जोड़े गये परन्तुतक में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार ही खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है।

नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम लालासर में धन्नाराम के वारिसान पेमा, शिशपाल, सुगनी, इन्द्रा, तारा, सरोज आदि दर्ज है। जमाबंदी सम्वत् 2063, 2055, 2019, 2043, 2059, 2032, 2047, 2012, 2010,2016,2019, 2038, रोही ग्राम लालासर बणीरोतान खेत खसरा नम्बर 9 में खाता विभागीय भूमि राष्ट्रपति सम्पति भारत सरकार खातेदार धना वल्द दुलाराम उसके वारिसान कौम जाट सा. देह काश्तकार दर्ज है। गिरदावरी सम्वत् 2009, 2012, 2016, 2017, 2021,2029, 2035,2038, 2047,2052, 2055, 2059 में विभागीय भूमि राष्ट्रपति सम्पति भारत सरकार खातेदार धना वल्द दुलाराम व उसके वारिसान कौम जाट सा. देह काश्तकार दर्ज है। जिनमें सम्वत् 2010 व 2012 में मंगला वल्द मंगतुदीन सा. देह खातेदार व धना वल्द कुम्भा काश्तकार दर्ज है। सम्वत् 2016 में मंगला वल्द मंगु दीन व धना वल्द कुम्भा काश्तकार दर्ज है। गिरदावरी पंचसाला 2011 में मंगला वल्द मगतु ढाढी सा. देह खुदकाश्त तथा इसके पश्चात् वर्ष मैं इसे पाकिस्तान चला जाना अंकित है तथा उसकी अगली पंक्ति में धन्ना वल्द कुम्भा कौम जाट अंकित हे।

वादगत भूमि खसरा संख्या 20 (वर्तमान खसरा 09) रोही लालासर बणीरोतान, कुल रकबा 18–10 बीघा, मूल खातेदार मंगला पुत्र मंगतु मुसलमान के नाम थी। विभाजन के समय मंगला पाकिस्तान चला गया, इसलिए भूमि कस्टोडियन विभाग / राष्ट्रपति संपत्ति के नाम दर्ज हो गई।

वादी के पूर्वज धन्नाराम इस भूमि को उप–कृषक / गैर–खातेदार काश्तकार के रूप में काश्त करते थे। वर्ष 1977 में चालान सं. 809 द्वारा ₹650.40 जमा करवाया गया। राज्य की अधिसूचना के अनुसार खातेदारी अधिकार प्रदान होने थे, परन्तु दर्ज नहीं किए गए। अतः राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन कर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाए। प्रतिवादीगण की ओर से अभिमत इस प्रकार प्रस्तुत किये गये कि भूमि सही रूप से राष्ट्रपति संपत्ति के रूप में दर्ज है। खातेदारी अधिकार केवल नियमों के तहत आवेदन करने पर ही दिये जा सकते हैं। वादी ने खातेदारी हेतु आवश्यक प्रक्रिया का पालन नहीं किया। सीधा वाद दायर करना विधिसम्मत नहीं है। अपील में

भू–प्रबंध एवं राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर ने उपखण्ड अधिकारी के वाद ड्रॉप' आदेश को अपास्त करते हुए निर्देश दिया कि वादी के मामले की जाँच कर परिपत्र दिनांक 30.03.2012 और

राजस्थान भू–राजस्व नियम 1970 के नियम 18 [illegible] खातेदारी देने की प्रक्रिया अपनाई जाए। अपील प्राधिकारी ने कोई सीधा खातेदारी देने [illegible] आदेश नहीं दिया, बल्कि प्रक्रिया पालन का निर्देश दिया। तहसीलदार एवं पटवारी [illegible] रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि खसरा संख्या 09 वर्तमान रिकॉर्ड [illegible] सरकार के नाम दर्ज है। वादी परिवार (धन्ना

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:16:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

वल्द कुम्भा के वारिस) गैर–खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज हैं। रिकॉर्ड सम्वत 2010 से 2070 तक यही स्थिति दर्शाता है। वादी द्वारा परिपत्र के अनुसार कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। चालान दिनांक 13.01.1977 का भुगतान परिपत्र 2012 में वर्णित प्रक्रिया का स्थानापन्न (Substitute) नहीं है। परिपत्र 30.03.2012 के अनुसार खातेदारी प्रदान करने की पूर्ण प्रक्रिया आवेदन आधारित है। संबंधित उपखण्ड अधिकारी जाँच के बाद पात्रता निर्धारित करता है। वादी द्वारा आज तक कोई आवेदन नियम 18 की प्रक्रिया नियमितीकरण शुल्क शास्ति राजकीय बकाया कुछ भी पूरा नहीं किया गया। वाद द्वारा सीधे घोषणात्मक राहत मांगना विधि–विरुद्ध है। परिपत्र दिनांक 30.03.2012 के अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं इस परिपत्र के 5 प्रमुख बिंदुओं में से वादी ने 'एक भी' का पालन नहीं किया खातेदारी हेतु अलग सेउपखण्ड अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया दावा साथ सम्वत् 2012 से दावा दायरी तक की सम्पूर्ण जमाबंदी / गिरदावरी प्रस्तुत नहीं किया गया नियमितीकरण शुल्क व शास्ति जमा जमा नहीं किया गया (भूमि असिंचित होने पर भी ₹2000 + ₹1000 प्रति बीघा देय) राजस्व रिकॉर्ड की पात्रता जाँच हेतु आवेदन ही नहीं . नियम 18, राजस्थान भू–राजस्व नियम, 1970 की प्रक्रिया पूरी तरह अनुपालनहीन ।

वादी भूमि पर गैर–खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज हैं, जिसमें कोई विवाद नहीं है। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में यह भूमि राष्ट्रपति संपत्ति है, अतः खातेदारी अधिकार सीधे न्यायालय द्वारा नहीं दिये जा सकते। वादी की ओर से केवल 1977 का चालान प्रस्तुत किया गया, किन्तु यह चालान आज लागू परिपत्र व नियमों में खातेदारी का आधार नहीं है। परिपत्र 2012 में यह स्पष्ट है कि नियमितीकरण शुल्क व शास्ति राजकीय बकाया औपचारिक आवेदन राजस्व रिकॉर्ड की जाँच के बाद ही खातेदारी पर निर्णय संभव है। वादी का दावा अपूर्ण, अकालनीय एवं अधूरा है। वादी द्वारा कानूनी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होने पर भी सीधा वाद दाखिल किया गया, जो धारा 88–आर.टी.ए.के अंतर्गत वाद योग्य नहीं है।

निर्णय

अतः समस्त परिस्थितियों, उपलब्ध रिकॉर्ड, तथ्यों, परिपत्र दिनांक 30.03.2012 एवं नियम 18 राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के अधीन आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण वादीगण का दावा विधि और तथ्य दोनों में अस्वीकार्य पाया जाने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

(सुनील कुमार– I)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू
उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:16:36 IST
Reason: SelfAttested